फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी श्री फुलशंकर | बनाम | विपक्षी श्री बालु

किस्म मुकदमा – 183 रा.का. अधिनियम व 128 भू राजस्व अधिनियम | पत्रावली संख्या 121/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक 23.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा कथन कहा कि वादी द्वारा प्रकरण में वाद व प्रार्थना पत्र एक साथ पेश किए गए है जो पोषणीय नही है जिससे वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि वादी द्वारा एक वाद जो अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रतिवादी का कब्जा हटाकर पक्की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद की प्रकृति से संबंधित है जबकि धारा 128 भू राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र की प्रकृति का है। उक्त दोनो धाराए एक साथ नही लाई जा सकती हैं। वाद पत्र का निस्तारण जवाब, तनकी, साक्ष्यवादी, साक्ष्य प्रतिवादी व बहस सुने जाने के बाद किया जाता है जबकि प्रार्थना पत्र का निस्तारण समरी प्रोसेडिंग के अनुसार किया जाता है जिससे उक्त दोनो धाराए एक साथ नही लाई जा सकती साथ ही धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का क्षेत्राधिकार न्यायालय सहायक कलक्टर के अन्तर्गत आता है जबकि धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का क्षैत्राधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्तर्गत आता है। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र एक ही दावे में प्रस्तुत किये गये है जो पोषणीय नहीं है। अतः अधिवक्ता वादी के नये वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकरण को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:11 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकद्द में इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 121/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/746

अनवान

1. श्री फुलशंकर पिता उदयलाल जाति आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/1 श्री दीपक आमेटा पिता स्व. श्री फुलशंकर आमेटा जाती आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/2 श्री मयूर आमेटा पिता स्व. श्री फुलशंकर आमेटा जाति आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपर राज.।

1/3 श्री महेश चन्द्र पिता स्व. श्री फुलशंकर आमेटा जाति आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपर राज.।

1/4 श्रीमती इदु आमेटा पिता स्व. श्री फुलशंकर आमेटा पत्नी श्री रामकृष्ण जोशी जाति आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपर राज.।

1/5 श्रीमती विश्वलता आमेटा पिता स्व. श्री फुलशंकर आमेटा पत्नी श्री महेश आमेटा जाति आमेटा निवासी कुराबड तहसील भीण्डर जिला उदयपर राज.।

1/6 श्रीमती अजना आमेटा पिता स्व. श्री फुलशंकर आमेटा पत्नी विश्वनाथ आचार्य जाति आमेटा निवासी प्रतापगढ जिला प्रतापगढ राज.।

2. श्री गोविन्दराम आमेटा पिता उदयलाल जाति आमेटा निवासी भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3. श्रीमती इद्रा पुत्री उदयलाल जाति आमेटा पत्नी भगवती लाल निवासी भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

4. श्रीमती दरियाव पुत्री उदयलाल जाति आमेटा बेवा मोहनलाल निवासी भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

5. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री उदयलाल जाति आमेटा पत्नी कृपाशंकर निवासी बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।

6. श्रीमती पुष्पा पुत्री उदयलाल जाति आमेटा पत्नी शम्भूलाल निवासी राटोला जिला उदयपुर राज.।

7. श्रीमती गिरजा पुत्री उदयलाल जाति आमेटा पत्नी शंकरलाल निवासी कुण जिला उदयपुर राज.।

वादीगण

बनाम्

1. श्री बालू पिता जोरा कीर जाती कीर निवासी भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183 राज.काश्तकारी अधिनियम व 128 भू राजस्व अधिनियम

मुकदमा न0 : 121/21 (वाद)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसा लकलाई रुबरु श्री रमेश चन्द बहेडिया R.A.S. मिनजानि बमुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का नये वाद एवं प्रार्थना पत्र [illegible] को सुरक्षित रखते हुये अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो[illegible] कार्यालय [illegible] जावे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.07.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:11 IST
Reason: SelfAttested